संख्या:33/2025/237/35-4-2025/35-4099/89/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
भदोहीं।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 04 मार्च, 2025

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कतिपय कार्य के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद भदोही में शासनादेश सं0-525/2023/1212/35-4-2023 दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत 08 कार्यों में से क्रमांक 8 पर अंकित कार्य यथा-वि0ख0 ज्ञानपुर में खानापुर प्रधानमंत्री रोड से बिन्द बस्ती तक सी०सी० रोड का निर्माण (लम्बाई-0.600 मी0) की रू. 49.06 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किस्त में रू. 24.53 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिलाधिकारी, भदोही के पत्र संख्या-1231/त्व0वि0यो0/2024-25 दिनांक 10.02.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 की शर्तें यथावत रहेंगी।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा क्रमांक 8 पर अंकित कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि नियमानुसार राजकीय राजकोष में जमा करायी जायेगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:33/2025/237(1)/35-4-2025/335-4099/89/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मिर्जापुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, भदोही।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, भदोही।
11- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट टांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, भदोही।
14- अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, भदोही।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in